WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062025-264070
CG-DL-E-23062025-264070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2025/आषाढ़ 2, 1947
No. 360] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ASHADHA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2025

सा.का.नि. 403(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (गगघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम, 2020 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम, 2020 के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

"4. ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए यथा विहित अभिवचनों को आवेदक द्वारा ई-डीआरटी प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में फाइल किया जाएगा। मानक संचालन प्रक्रिया (उपयोक्ता निर्देशिका) ई-डीआरटी पोर्टल पर उपलब्ध है।"

[फा. सं. 3/5/2021-डीआरटी]

सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम, 23 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 43(अ), 22 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), 22 जुलाई, 2021 द्वारा और संख्यांक सा.का.नि. 79(अ), 31 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2025

G.S.R. 403(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ccd) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunals Electronic Filing Rules, 2020, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunals Electronic Filing (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunal Electronic Filing Rules, 2020, for rule 4, the following shall be substituted, namely: -

"4. Pleadings as prescribed for specific purposes under the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993) and the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), shall be filed by an applicant in electronic form, through the e-DRT system. The Standard Operating Procedure (User Manual) is available on e DRT portal."

[F. No. 3/5/2021-DRT]

SUDHIR SHYAM, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 23rd January, 2020 *vide* number G.S.R. 43(E), dated the 22nd January, 2020 and were subsequently amended vide number G.S.R. 501(E), dated the 22nd July, 2021 and *vide* number G.S.R.79(E), dated the 31st January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.